न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण<u>क्रमांकः 16 / 2015</u> संस्थित दिनांक—05 / 08 / 2008 फाईलिंग नंबर—230303001702008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. भूरा उर्फ वीरेन्द्र सिंह गुर्जर पिता जबर सिंह गुर्जर, उम्र 42 साल
- 2- राजाभैया उर्फ पहलवान पिता जबरसिंह गुर्जर, उम्र 35 साल, निवासीगण ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड

----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपीगण द्वारा श्री भगवतीप्रसाद राजौरिया अधिवक्ता।

-::- <u>निर्णय</u> -::-(आज दिनांक **24 सिंतबर 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 394 सहपित धारा—13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—19—20 अक्टूबर 2007 की दरम्यानी रात ग्राम ऐंचाया जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी चुन्नीलाल कुशवाह के आधिपत्य से भैंस कीमती 9000/—रूपये की लूट की और लूट के अपराध के अनुक्रम में चुन्नीलाल को स्वेच्छ्या उपहित कारित की ।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था एवं आरोपीगण आपस में सगे भाई हैं।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक—19—20/10/2007 की रात फरियादी चुन्नीलाल अपने घर के गौडा के सामने चारपाई पर सो रहा था, उसके गौडा के सामने उसकी भैंस बंधी थी, रात करीब 12—1 बजे दो आदमी आये और भैंस को खूंटा से खोलकर चल दिये, उसकी आंख खुली तो उसने टोका तब एक व्यक्ति ने फरियादी की गर्दन

पकडकर धक्का दे दिया जिससे उसको चोटें आयीं, वे लोग उसकी भैंस चुराकर ले गये ।

- 4. फरियादी चुन्नीलाल की उक्त आशय की रिपोर्ट थाना गोहद पर जाकर लेखबद्ध कराई जो थाना गोहद में अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध अप.क. —181/07 धारा—392 भा0द0वि0 के अंतर्गत कायम किया गया । विवेचना के दौरान धारा—392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 394 सहपिटत 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूटा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है।
- 6. 🎺 प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :–
 - 1— क्या आरोपीगण ने दिनांक—19—20 अक्टूबर 2007 की दरम्यिानी रात ग्राम ऐंचाया जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी चुन्नीलाल कुशवाह के आधिपत्य से भैंस कीमती 9000 / —रूपये की लूट की ?
 - 2— क्या, आरोपीगण द्वारा उक्त समय, दिनांक व स्थान पर उक्त लूट कारित करने के अनुक्रम में फरियादी चुन्नीलाल को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

<u>—::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

विचारणीय प्रश्न कमांक-01 व 02 का निराकरण

- 7. उक्त दोनों विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
- 8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में श्रीमती उज्जवला (अ०सा०–1), प्र.आर. रमेश सिंह (अ०सा०–2), सैनिक मनीराम (अ०सा०–3), डॉ० आलोक शर्मा (अ०सा०–4) चुन्नीलाल (अ०सा०5), सरमन (अ०सा०–6), राघवेन्द्र तोमर (अ०सा०–7) एवं डी.एस.पी. रवि गर्ग (अ०सा०–8) की साक्ष्य कराई है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.–1 लगायत–प्रदर्श पी.–05 के दस्तावेज प्रदर्शित

नोट:— प्रकरण में आहत चुन्नीलाल पुत्र पुन्ने लाल को मुलाहिजा फॉर्म में चुल्ली पुत्र पुन्ने, एम०एल०सी० में छुबली लाल पुत्र पुन्नेलाल अंकित किया गया है जो एक ही व्यक्ति होने से सही नाम चुन्नीलाल के रूप में उसे संबोधित किया जावेगा। तथा जो दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रदर्शित हुए हैं उनमें प्र0पी0—4 के रूप में एम०एल०सी० और एफ०आई०आर० दोनों अंकित हो गये हैं। जबिक एम०एल०सी० प्र0पी0—3 अंकित होना चाहिए थी क्योंकि प्र0पी0—3 के रूप में अ०सा0—3 के अभिसाक्ष्य में आरोपी भूरे गुर्जर का धारा—27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श अंकित किया गया है जो कि अ०सा0—1 के अभिसाक्ष्य में प्र0पी0—1 के रूप में था इसलिये कम व्यवस्थित करते हुए आरोपी भूरे के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0—1 के रूप में, उसका गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0—2, एम०एल०सी० रिपोर्ट प्र0पी0—3, एफ०आई०आर० प्र0पी0—4, नक्शामौका प्र0पी0—5, रस्सी का शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी0—6 एवं सरमन का पुलिस कथन प्र0पी0—7, रस्सी की जप्ती प्र0पी0—8 के रूप में आगे पढ़े जावेंगे।

3

- प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व का साक्षी फरियादी चुन्नीलाल अ0सा0–5 है जिसके द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना गोहद में दिनांक 20.10.07 को दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध लिखाई थीकि दिनांक 19–20 अक्टूबर 2007 की दरम्यानी रात्रि में जब वह रात को खाना वगैरा 🚺 खाकर गौंडा के सामने चारपाई पर सोया था। वहीं पास में उसकी भैंस व पड़िया बंधी थी। रात को करीब बारह एक बजे के बीच उसे दो आदमी दिखे थे जो उसकी भैंस को खुंटे से खोलकर चल दिये जिस पर से उसने रोका तो एक व्यक्ति ने उसे जमीन पर पटककर लात घूंसों से मारा और मुंह में ढूंसा मारे जिससे दांयी आंख के नीचे गर्दन में चोटें आई। चिल्लाने पर उसे छोडकर भाग गये और उसकी भैंस को जबरदस्ती ले गये । उसने भैंस का हलिया बताते हुए रिपोर्ट लिखाई किन्तू फरियादी ने अपनी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में केवल इतना कहा है कि 6–7 साल पहले उसकी भैंस को तीन चार अज्ञात लोग चुराकर ले गये थे। वे सभी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। इसलिये वह उन्हें पहचान नहीं पाया था और उसने भैंस चोरी के संबंध में प्र0पी0—4 की रिपोर्ट थाना गोहद पर लिखाई थी। पुलिस ने मौके पर आकर प्र0पी0—5 का नक्शामौका बनाया था। उसका बयान लिया था। बाद में पुलिस ने चीरी गयी भैंस की रस्सी को जप्त किया था जिसकी उसने पहचान कराई थी। लेकिन उसने विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा भैंस चोरी से ले जाने या जबरदस्ती ले जाने या उसकी मारपीट करने का समर्थन नहीं किया है। यह अवश्य कहा है कि जो लोग भैंस को जबरन ले गये थे उन्होंने उसकी मारपीट की थी।
- 10. प्रकरण में उक्त फरियादी से अभियुक्तगण के गिरफ्तार होने के बाद शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराई गई है और इस संबंध में एफ0आई0आर0 लेखक तत्कालीन थाना प्रभारी रवि गर्ग अ0सा0-8 और विवेचक प्र0आर0 रमेशसिंह अ0सा0-2 ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आरोपीगण को किस आधार पर अभियोजित किया गया। उन्होंने केवल धारा-27 साक्ष्य विधान का

मेमोरेण्डम कथन और रस्सी की जप्ती के आधार पर ही अभियोजित किये जाने की साक्ष्य दी है। इस तरह से फरियादी अ०सा0—5 का अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं आया है और प्र0पी0—4 की एफ0आई0आर0 अज्ञात में है।

- 11. अन्य परीक्षित साक्षियों में डाँ० आलोक शर्मा अ०सा०-4 ने दिनांक 20.10.07 को सी०एच०सी० गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए मेडिकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर छुवली लाल पुत्र पुन्नेलाल उम्र 70 साल निवासी ग्राम ऐंचाया का मेडिकल परीक्षण करना बताया है। जिसे प्र०पी०-4 की एम०एल०सी० रिपोर्ट में छुवली लाल लिखा गया है। मुलाहिजा पत्र में छुवली पुत्र पुन्ने तथा एफ०आई०आर० में चुन्नीलाल पुत्र पुन्नेलाल लेख है जिसे एक ही व्यक्ति के रूप में विश्लेषण में ऊपर लगाये नोट मुताबिक लिया जा रहा है।
- 12. उक्त चिकित्सक ने आहत की दांयी आंख के नीचे एक रगड का निशान दांयी आंख की लालिमा पाई। किन्तु दृष्टि सामान्य थी। गर्दन की दांयी तरफ नील का निशान लालिमा लिये हुए पाना बताते हुए सभी चोटें कड़ी व मौथरी वस्तु से परीक्षण से बारह घण्टे के भीतर की आना बताया है जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0—3 है। प्र0पी0—3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि चुन्नीलाल मेडिकल परीक्षण दिनांक 20.10.07 के रात 9.30 बजे किया गया है क्योंकि एम0एल0सी0 में समय 9.30 पी0एम0 लिखा हुआ है जबकि घटना 19.20 अक्टूबर–2007 की दरम्यानी रात्रि की बताई गई है। कथानक मुताबिक रात के बारह एक बजे के बीच का समय बताया गया है। इस हिसाब से पाई गई चोटों की अवधि घटना के समय की होना प्रकट नहीं होती है। या तो चिकित्सक के द्वारा समय गलत लिखा गया है या मानवीय भूल से ए०एम० के वजाय 9.30 पी०एम० लिखा हुआ है। लेकिन एफआईआर भी सुबह 9.40 बजे दर्ज कराई गई है और उसके बाद पुलिस ने मेडिकल परीक्षण हेतु भेजना बताया है। ऐसी स्थिति में चोटों की अवधि घटना से मिलान नहीं खाती है। यह भी संदेह उत्पन्न करता है कि जिस भैंस की लूट की घटना बताई गई है उसी में विरोध करने पर आहत चुन्नीलाल को प्र0पी0-3 में पाई गई चोटें पहुंची इसलिये एम0एल0सी0 रिपोर्ट आरोपीगण को घटना से नहीं जोड़ती है।
- 13. प्र0पी0—4 की एफ0आई0आर0 मुताबिक चिल्लाने पर रामसेवक और सरमन जो कि पास में ही रहते हैं, उनका आना बताया गया है। इस दृष्टि से सरमन और रामसेवक भी महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं जिनमें से सरमन को अ0सा0—6 के रूप में परीक्षित किया गया है जिसने पक्ष विरोधी होते हुए अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है। केवल इतना बताया है कि 6—7 साल पहले उसके पड़ोसी चुन्नी लाल कुशवाह की भैंस रात्रि में जो गौंड़ा के बाहर बंधी थी, उसे कोई चुरा ले गया था लेकिन कौन ले गया, इसकी उसे जनकारी नहीं है। चुन्नीलाल के चिल्लाने पर उसके और रामसेवक के पहुंचने से भी वह मना करता है और इस बात से भी इन्कार करता है कि चुन्नीलाल ने उसे ऐसा बताया था कि भैंस को पिपरौली आरोली गांव की तरफ दो लोग ले गये थे। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने और रामसेवक ने भैंस की खोज की

5

थी और भैंस के निशान के आधार पर पिपरौली आरौली गांव की तरफ गये थे। उसने पुलिस को प्र0पी0–7 का कथन देने से भी इन्कार करते हुए केवल यह स्वीकार किया है कि चुन्नीलाल के मुंह, आंख और गर्दन पर चोटें अवश्य देखी थीं। इस तरह से उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य भी आरोपीगण के विरूद्ध नहीं है और रामसेवक को अभियोजन की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी और न्यायालय द्वारा हर संभव प्रयास के बावजूद भी परीक्षित नहीं कराया गया है। इसलिये रामसेवक के संबंध में यही उपधारणा निर्मित होगी कि वह अवश्य ही अभियोजन के विरूद्ध रहा होगा अन्यथा उसे पेश किया जाता। जैसाकि बचाव पक्ष का तर्क है। इस तरह से अभिलेख पर प्रत्यक्ष साक्ष्य विचाराधीन आरोप के संबंध में आरोपीगण के विरूद्ध नहीं आई है क्योंकि चुन्नीलाल के छोटे भाई की पत्नी श्रीमती उज्जवला कुशवाह जो कि अ०सा०–1 के रूप में परीक्षित हुई है, उसने भी केवल यह कहा है कि वह घर के भीतर सो रही थी। चून्नीलाल घर के बाहर सो रहे थे। भैंस को कोई चुराकर ले जा रहा था। चिल्लाने पर भैंस को ले जाने वालों ने चुन्नीलाल की मारपीट कर दी थी जिससे उसे चोटें आई थीं और घटना रात के समय की है। वह घर के भीतर थी इसलिये उसे यह मालूम नहीं है कि किन व्यक्तियों ने भैंस चुराई और चुन्नीलाल की मारपीट की। ऐसे में अ0सा0—1 का अभिसाक्ष्य भी आरोपीगण के विरूद्ध नहीं है। वह केवल भैंस को बलपूर्वक ले जाने और उसमें प्रतिरोध करने पर चुन्नीलाल को उपहतियाँ कारित करने की साक्ष्य मात्र देती है और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य न होने से जो आरोपीगण को घटना से जोड सके. उसके अभाव में उक्त साक्ष्य निरर्थक हो जाती है।

14. अब प्रकरण में केवल कथानक मुताबिक भैंस की रस्सी की जप्ती के आधार पर आरोपीगण को अभियोजित किये जाने का ही तथ्य शेष रहा है क्योंकि अ०सा0–8 के अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जो आरोपीगण को घटना से संलिप्त करते हों क्योंकि उसके द्वारा प्र0पी0–4 की एफ0आई0आर0 और प्र0पी0–5 का नक्शामौका तैयार किये जाने के अलावा साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना कहा है। किन्तु परीक्षित साक्षियों के किसी भी कथन में आरोपीगण के नाम तो नहीं आये हैं, न पहचान आई है न पहचान कराई है और अ0सा0–8 ने पहचान न कराने का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। इसलिये मेमोरेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी के शेष दस्तावेजों और उससे संबंधित साक्षियों की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर विश्लेषित करना होगा कि क्या दस्तावेज विधिक रूप से प्रमाणित होते हैं और उसके संबंध में दी गई अभियोजन की शेष साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय होकर घटना को आरोपीगण से जोड़ती है या नहीं। इस संबंध में जो साक्षी परीक्षित हुए हैं, उनमें प्र0आर0 रमेशसिंह अ०सा0–2 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 24.04.08 को थाना गोहद में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए यह कहा है कि तत्कालीन थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा द्वारा अप०क०—181 / 07 में आरोपी भूरा उर्फ वीरेन्द्रसिंह से उसके सामने पूछताछ की थी और उसका प्र0पी0–1 का ज्ञापन तैयार किया गया था जिसमें भूरा ने भैंस की बंधी प्लास्टिक की रस्सी घर के टांड़ पर रख देना और बरामद कराने की सूचना दी थी और उसी दिन प्र0पी0-2 का गिरफतारी पंचनामा बनाकर गिरफ़्तार किया जाना भी वह कहता है।

- सैनिक मनीराम अ0सा0-3 भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी भूरे गुर्जर की 15. प्र0पी0—2 मृताबिक गिरफतारी और प्र0पी0—1 की भैंस की रस्सी के संबंध में बरामद कराने की सूचना देना बताता है जिस संबंध में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं। किन्तु प्र0पी0–1 व 2 की अनुसंधान में कार्यवाही करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है जिसके लिये भी पर्याप्त अवसर दिये गये थे। इसलिये अ0सा0–2 व 3 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0–1 व 2 के दस्तावेजों को स्वीकार कर लिये जाने पर केवल आरोपी भूरा गुर्जर की गिरफतारी और उससे रस्सी के संबंध में सूचना प्राप्त करने का बिन्द ही प्रमाणित होगा किन्तु जो रस्सी की जानकारी दी गई वह फरियादी चुन्नीलाल की भैंस की रस्सी ही थी और आरोपी भूरा के एकांकी आधिपत्य से बरामद हुई, इसकी प्रमाणिकता अमरनाथ वर्मा के अभिसाक्ष्य से ही हो सकती थी जो कि परीक्षित नहीं कराया गया है। हालांकि फरियादी चुन्नीलाल अ०सा०–5 रस्सी की पहचान की कार्यवाही पुलिस द्वारा कराना कहता है जबकि प्र0पी0–6 के शिनाख्ती पंचनामा मुताबिक पुलिस की अनुपस्थिति में सरपंच ग्राम पंचायत मदनपुरा द्वारा कराया जाना बताया गया है। लेकिन प्र0पी0–6 की शिनाख्ती कराने वाले सरपंच को पेश नहीं किया गया है। प्र0पी0-8 के जप्त पत्र मुताबिक आरोपी भुरा के ग्राम आलौरी स्थित मकान में पौर की टांड में से पेश करने े पर एक प्लास्टिक की रस्सी जप्त होना बताया गया है।
- 16. प्र0पी0—8 के संबंध में केवल एक साक्षी राघवेन्द्र तोमर अ०सा0—7 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने प्र0पी0—8 की जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया है और वह प्र0पी0—8 पर थाने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर पुलिस द्वारा कराना कहता है। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि रस्सी से भैंस की लूट की घटना प्रमाणित नहीं हो सकती है क्योंकि प्लास्टिक की रस्सी हर जगह सामान्य रूप से उपलब्ध है और आसानी से उसे प्राप्त किया जा सकता है। भैंस बरामदगी का कोई प्रयास ही नहीं हुआ और पुलिस द्वारा कोई उचित छानबीन नहीं की गई है। आरोपीगण को झूंठा फंसा दिया है जिसका विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि भैंस भले ही पर्याप्त छानबीन के प्राप्त नहीं हो पाई किन्तु भैंस की रस्सी मिली थी। इसलिये बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार न किया जावे क्योंकि मेमोरेण्डम को खण्डित नहीं किया गया है।
- 17. जहाँ तक रस्सी का प्रश्न है, रस्सी आम तौर पर बाजार में उपलब्ध होती है। ऐसे में रस्सी के आधार पर जिसकी कोई विशेष पहचान नहीं होती है उससे घटना की कड़ी आरोपीगण से नहीं जोड़ी जा सकती है। और जो विरोधाभाष व विषंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं उनके संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा जो कि प्रकरण का विवेचक भी था, उसे अभियोजन के द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। इसलिये अभियोजन के पक्ष में किसी भी तरह की उपधारणा निर्मित कर विधिक रूप से आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह सही है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में

डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के प्रावधान प्रभावी थे क्योंकि वह अधिनियम मध्यप्रदेश शासन गृह (भोपाल) विधि मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 20.01.2000 की अधिसूचना प्रभावी था। किन्तु उक्त अधिनियम के प्रभावी होने से कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है। मामले में अभियुक्तगण की शिनाख्ती की कार्यवाही या भैंस बरामद होने पर उसकी शिनाख्ती की कार्यवाही से ही मामले को सिद्ध किया जा सकता था। जबकि ऐसा नहीं किया गया। इसलिये अभियोजन का संपूर्ण मामला संदिग्ध है।

7

- 18. अतः उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 19–20 अक्टूबर 2007 की दरम्यानी रात्रि में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट की धारा—3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र में अधिसूचित रहते अभियुक्तगण ने फरियादी चुन्नीलाल कुशवाह निवासी ग्राम ऐंचाया के आधिपत्य की एक भैंस कीमती करीब नौ हजार रूपये की लूट की और लूट के अपराध के अनुक्रम में चुन्नीलाल की स्वेच्छ्या मारपीट कर उपहति कारित की। फलतः आरोपीगण भूरा गुर्जर उर्फ वीरेन्द्र गुर्जर एवं राजा भैया उर्फ पहलवान गुर्जर को धारा 394 सहपिटत धारा–13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 19.
- 20. प्रकरण में जप्तशुदा प्लास्टिक की रस्सी मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरान्त नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये। 21.

24 सितंबर—2015 दिनांक:

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

्रपर टॅवि (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड